

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**:: अधिसूचना ::**

पटना-15, दिनांक-11.7.17

संख्या-14/पद-213/2011, सा0प्र0 ~~8420~~...../बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

| क्रम सं० | पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/गृह जिला                        | वर्तमान पदस्थापन                                   | नव पदस्थापित पद एवं स्थान                           |
|----------|---|--|---|
| 1        | 2   | 3  | 4   |
| 1        | श्रीमती मधुरानी ठाकुर<br>कोटि क्रमांक-433/11,<br>दरभंगा       | सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना। | अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना। |
| 2        | श्री अरूण कुमार झा,<br>कोटि क्रमांक- 469/11,<br>पूर्वी चंपारण | पदस्थापन की प्रतीक्षा में।                         | सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य अयोग, बिहार, पटना।  |
| 3        | श्री अलामा मुख्तार,<br>कोटि क्रमांक- 987/11,<br>रोहतास        | पदस्थापन की प्रतीक्षा में।                         | वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।                          |

2. उपर्युक्त क्रमांक - 3 पर अंकित पदाधिकारी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा- 20 के अंतर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (एक्ट 2, 1974) की धारा - 144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक -14/पद - 213/2011, सा0प्र0 ~~8420~~...../पटना-15, दिनांक-11.7.17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।